कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 3616 **/14–10 ,अलीगढः दिनांकः मईः** 04, **,2016**

सेवामें,

डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लि0,
ए–5, सेक्टर–3,
नोएडा–201301 (उ0प्र0)।

विषयः– **जनपद अलीगढ़ में पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग (एस0एच0–22ए) किमी0 27.261 की दांयी पटरी पर ग्राम–टप्पल के खसरा संख्या– 412/2 एवं 851 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0758 है0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) का पत्रांक 8बी/यूपी/06/37/2015/एफ0सी0/1434 दिनांक 19.02.2016

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र), लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग (एस0एच0–22ए) किमी0 27.261 की दांयी पटरी पर ग्राम–टप्पल के खसरा संख्या– 412/2 एवं 851 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0758 है0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। उक्त पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन एवं निर्देशों के क्रम में आपसे निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तों सम्बन्धी कार्यवाही करने की मांग की जाती है।

<u>शर्त सं0–1</u>: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू–3,20,000/– (तीन लाख बीस हजार मात्र) प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस0बी0–25230, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा कर पावती की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

Name of the Bank- " Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh A/c no. SB.-25230 Corporation Bank,Block-11 Ground Floor,C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi."
Mode of Account- Saving
Account- 037100101025230
IFSC code- CORP 0000371

<u>शर्त सं0–2</u>: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि 7,30,000/– की दर से 0.0758 X 7,30,000 = 55,334 (रू0–पचपन हजार तीन सौ चौंतीस मात्र) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधिं प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस0बी0–25230, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा कर पावती की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– एस0बी0 25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करायी जाए। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की धनराशि का आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आसपास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण गया हो) इस कार्यालय में प्रेषित की जाये।

शर्त सं0–3: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा करने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनवद्ध होगा। इस हेतु वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त सं0–3: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (234.10 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेया एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जायेगा।

शर्त सं0–5: प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे **(forward)** एवं पीछे **(backward)** उनकी दिशा **(bearing)** भी लिखनी होगी।

अतः उपरोक्त शर्तो की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि जमा कर पावती रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

(डी0पी0गुप्ता)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0पी0गुप्ता)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।